छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 4–23/2020/29 नवा रायपुर, दिनांक 29 नवंबर, 2020

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2020–21 में प्रदेश के किसानों से धान उपार्जन का कार्य दिनांक 01 दिसंबर, 2020 से प्रारंभ होना है । खरीफ वर्ष 2020–21 में लगभग 89 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के लिए चावल की वार्षिक आवश्यकता का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा एवं सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना है । अतः उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग उपरांत चावल का अंतरण उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. एवं भारतीय खाद्य निगम को किया जावेगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. <u>कस्टम मिलिंग चावल डिलीवरी</u> –

खरीफ वर्ष 2020–21 में उपार्जित शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल उपार्जन एजेंसी को डिलीवरी की समयावधि दिनांक 01 दिसंबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक होगी ।

2. <u>धान उठाव की समयावधि</u> –

2.1 बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों (कांकेर छोड़कर) एवं कोरबा जिलें में उपार्जित होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 31 मार्च 2021 तक किया जावे ।

2.2 रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के जिलों (कोरबा छोड़कर) तथा कांकेर जिले में उपार्जित तथा उपलब्ध होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 31 मई 2021 तक किया जावे ।

2.3 खरीदी केन्द्रो से समस्त धान का उठाव 28 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जावे ।

3. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन एजेंसी –

3.1 **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जावेगा । जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की अनुमानित कार्ययोजना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।**

3.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल के लिए उपार्जित चावल के लिए पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल वितरित किया जावे । यदि जिले में पीडीएस हेतु उसना चावल की मांग आती है तो कलेक्टर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा उसना चावल वितरित करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.4 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

3.5 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3.6 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जन केन्द्र प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

3.7 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन केन्द्र की सूची, प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

4. गुणवत्ता –

4.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है।

4.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन समयानुसार निर्धारित गुणवत्ता का चावल उपार्जन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाये ।

4.3 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने हेतु उचित कार्यवाही की जावे ।

4.4 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जावे।

4.5 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड का चावल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5. <u>कस्टम मिलिंग दर</u> –

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित शासकीय धान की अरवा/उसना कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में कस्टम मिलिंग के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त मिलिंग चार्जेस/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए :–

मिलिंग का प्रकार	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की मिलिंग करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान की कस्टम मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं छः माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की छः माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर जमा करने पर प्रोत्साहन राशि
अरवा मिलिंग	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की अरवा मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी, केवल भारत शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर प्रदाय की जायेगी । किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में (यथा, धान उपार्जन एंजेसी द्वारा मिलिंग हेतु धान उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में, इत्यादि) प्रबंध संचालक मार्कफेड के द्वारा प्रकरण के पूर्ण परीक्षणोपरांत गुण दोषों के आधार पर मिलर के द्वारा मिल की गई उपरोक्त धान की मात्रा पर दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान मिल करने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकेगी ।	30 रू. प्रति क्विंटल	40 रू. प्रति क्विंटल	45 रू.प्रति क्विंटल
उसना मिलिंग	0	0	10 रू. प्रति क्विंटल	15 रू. प्रति क्विंटल

6. <u>कस्टम मिलिंग प्रकिया</u> –

खरीफ वर्ष 2020–21 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । कस्टम मिलिंग प्रकिया के कम्प्यूटीकरण का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड की देखरेख में होगा । खरीफ वर्ष 2020–21 में कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार होगी –

6.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । मिल पंजीयन का कार्य खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 4–23/2020/29–1/ दिनांक 23 नवंबर, 2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार किया जावे । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये।

6.2 खरीफ वर्ष 2020–21 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

6.3 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाये ।

6.4 मिल की पंजीकृत मिलिंग क्षमता के आधार पर पहली अनुमति दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 800 मेट्रिक टन दो माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे । मिल को एकबार में अधिकतम 4 माह तक की मिलिंग क्षमता की अनुमति दी जा सकती है।

6.5 एक मिलिंग सीजन में मिल की वार्षिक मिलिंग क्षमता तक ही अनुबंध करने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी ।

6.6 अरवा मिल को मात्र अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलो में पीडीएस में अरवा चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है । प्रदेश के अन्य जिलो में विशेष परिस्थिति में ही प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु सहमति दी जा सकेगी । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा एवं औचित्य सहित सूचना शासन को दी जायेगी ।

6.7 कलेक्टर द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी एवं मिलर के द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध एक ही बार में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु

आवश्यक स्टाम्प पेपर उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । अनुबंध होने के पश्चात अरवा अथवा उसना मिलिंग के किस्म मे परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6.8 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 हेतु कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध में मिलिंग की समयावधि मिल की मिलिंग क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जावे ।

6.9 कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति धान की मात्रा का होगा। कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये गये अनुमति के विरूद्ध किये गये अनुबंध में समिति एवं संग्रहण केन्द्र संलग्नीकरण का कार्य जिला विपणन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार किस्मवार अनुपात (मोटा, पतला एवं सरना धान) कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा । कलेक्टर द्वारा किस्मवार अनुपात निर्धारण में विगत वर्ष में जिले में किस्मवार उपार्जित धान की मात्रा एवं जिले में उपलब्ध धान की किस्मवार मात्रा का ध्यान रखा जावे । जिला विपणन अधिकारी अनुबंध के अनुपात के आधार पर धान का डिलिवरी आर्डर जारी करेगा ।

6.10 अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिये डिलीवरी आर्डर जारी कर सकेगा। मूल जिले के धान के उठाव हेतु मूल जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा एवं अन्य जिले के धान के उठाव हेतु अन्य जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा । जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु निकटस्थ उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे ।

6.11 जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलीवरी आर्डर जारी करने के पश्चात मिलर द्वारा 10 दिवस के भीतर डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा अनुसार धान उठाव करेगा । 10 दिवस तक धान उठाव नहीं करने पर धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जाये। विशेष परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण उपरांत मिलर को अर्थदण्ड में छूट प्रदान करने का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा ।

6.12 अंतर जिला परिवहन के संबंध में अन्य जिले के अनुपात के आधार पर धान का उठाव कराया जावे ।

6.13 सरना धान यथा संभव अरवा मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे ।

6.14 खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में राईस मिलर को धान शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध प्रदाय किया जायेगा । राईस मिलर से अग्रिम में चावल जमा नहीं कराया जाएगा ।

6.15 राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा, उसी किस्म का चावल जमा कराया जावे । विशेष परिस्थिति में यदि मिलर द्वारा ग्रेड–ए धान उठाव के विरूद्ध कॉमन चावल जमा कराया जाता है तो इस स्थिति में मार्कफेड द्वारा उस चावल के खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के सी.एम.आर. मूल्य की अंतर की राशि का समायोजन/कटौती कस्टम मिलिंग व परिवहन व अन्य बिलों से की जावे । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा एवं औचित्य सहित सूचना शासन को दी जायेगी ।

6.16 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

6.17 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलीवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

6.18 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलीवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले के गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न **परिशिष्ट– 4** अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे । परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी कर सकेगें एवं सूचना शासन को देंगे ।

6.19 मिलर द्वारा अनुबंधित मात्रा का मिलिंग कार्य समयानुसार करने हेतु समानुपातिक रूप से धान उठाव एवं सी.एम.आर. जमा किया जावे ।

6.20 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । कलेक्टर द्वारा अधिकतम एक माह की अवधि तक अनुबंध में वृद्धि की जा सकती है । अनुबंध में एक माह से अधिक अवधि के वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी।

6.21 मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत चावल की डिलीवरी देनी होगी ।

6.22 **पिछला अनुबंध की मिलिंग पूरी करने एवं संपूर्ण चावल जमा करने के पश्चात् ही कलेक्टर द्वारा मिलिंग हेतु नयी अनुमति दी जावे** । नयी अनुमति दिये जाने पर मिलर द्वारा नयी अनुमति अनुसार नया अनुबंध जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित करना होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6.23 संग्रहण केन्द्रों से धान "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के आधार पर प्रदान किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में भी धान प्रदाय करते समय यथासंभव "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के सिद्धांत का पालन किया जावे ।

6.24 किसी भी स्थिति में समिति स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

7. <u>बारदानों की राशि की प्राप्ति</u> –

7.1 **बारदानों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 की धान खरीदी नीति की कंडिका 8 में उल्लेखित है, तदनुसार बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।**

7.2 भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार मिलर द्वारा, नये जूट बारदाने में उपार्जित धान की मिलिंग पश्चात बचत नये बारदाने में चावल जमा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त **Used Gunny Bags** में चावल उपार्जन किया जा सकेगा । **HDPE/PP** बारदाने में चावल का उपार्जन नहीं किया जावेगा ।

7.3 मार्कफेड ने सूचना दी है कि विपणन संघ के पास **खरीफ वर्ष 2019–20 के 4202 गठान नये बारदाने उपलब्ध हैं । यदि खाद्य विभाग भारत सरकार से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की अनुमति प्राप्त होती है तो भारतीय खाद्य निगम में खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के नये बारदानों** में चावल का उपार्जन किया जावेगा । मार्कफेड द्वारा उपरोक्त बारदानों के सॉफ्टवेयर में एंट्री एवं रिकार्ड संधारण हेतु समुचित व्यवस्था की जावे । खरीफ वर्ष 2019–20 के नये जूट बारदानों का शतप्रतिशत उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में सुनिश्चित किया जावेगा ।

7.4 संग्रहण केन्द्र/समिति में PDS के प्राप्त बोरे को मिलर को मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे, तथा मिलर के उक्त बारदाना खाली होने पर संबंधित समिति को वापस कराया जावे, वापस नहीं होने पर मिलर से पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित दर पर राशि की कटौती कर संबंधित समिति को भुगतान किया जावे।

8. **परिवहन व्यवस्था** –

8.1 समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (**परिशिष्ट–5**) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान/सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

8.2 समिति स्तर से धान उठाव को प्रोत्साहित करने के लिये खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से विपणन संघ द्वारा आमंत्रित की गयी निविदा के आधार पर दरों को मान्य किया जाए। **समिति स्तर पर समिति द्वारा मिलर को धान लोड कर प्रदाय किया जावे । संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे।**

8.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी इस प्रकार तय करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध पंजीकृत राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए ।

8.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दिया जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । संग्रहण केन्द्र से मिलों की दूरी का निर्धारण जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जावेगा । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त एक अन्य संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

8.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

9. <u>समितियों से धान का सीधे उठाव</u> –

9.1 विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

9.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

9.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

9.2 अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों से उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलीवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलीवरी आर्डर के और डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

9.3 जिला विपणन अधिकारी डिलीवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । डिलीवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति ऑफ लाईन खरीदी

वाले खरीदी केन्द्रों हेतु खरीदी केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियुक्त मोटर साईकिल रनर्स द्वारा किया जाएगा ।

9.4 मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलीवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा। मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो, आधार नंबर एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा । मिलर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त कर ही धान समिति/ संग्रहण केन्द्र से प्रदाय किया जाये । प्रबंध संचालक मार्कफेड इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

9.5 सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

9.6 धान उपार्जन हेतु गठित संग्रहण केन्द्र स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । **यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।**

9.7 **खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये ।** नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलो का संलग्नीकरण **परिशिष्ट–6** में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिर्वतन किया जा सकता है। खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–6** में दर्शित है ।

10. **कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –**

10.1 कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

10.2 कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

10.3 मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी ।

10.4 भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध चावल के शीघ्र रैक मूव्हमेंट कराने की कार्यवाही की जावे।

11. **अन्य आवश्यक कार्यवाही** –

11.1 खरीफ वर्ष 2020–21 के लिए धान उपार्जन की प्रक्रिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मार्कफेड द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की जाये ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

11.2 जिले में राईस मिल एसोसिएशन से उपार्जित होने वाले धान की त्वरित कस्टम मिलिंग हेतु बैठक आयोजित कर चर्चा कर ली जावे । मिलिंग हेतु यथाशीघ्र मिलर से आवेदन प्राप्त कर अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे । मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु समितियों से सीधे धान उठाव की जिलेवार कार्ययोजना **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है ।

11.3 जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव एवं चावल जमा की अनुमानित कार्ययोजना तैयार कर ली जावे एवं तदनुसार अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्यवाही की जावे।

11.4 राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा चावल उपार्जन एजेंसी को चावल जमा करने हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी । राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा जमा चावल के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी ताकि भण्डारण हानि न्यूनतम रहे तथा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक न हो ।

11.5 मार्कफेड द्वारा संग्रहण केन्द्रों से मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु समयानुसार धान प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे । चावल उपार्जन एजेंसी द्वारा मिलर से कस्टम मिलिंग चावल समयानुसार जमा कराने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे ।

11.6 जिले में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलों से अनुबंध अनुसार समयानुसार मिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

11.7 कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार किया जाए ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

क्रमांक एफ 4–23/2020/29 नवा रायपुर, दिनांक29 नवंबर, 2020

प्रतिलिपि –

01. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
03. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मेंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
04. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
05. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
06. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
07. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
08. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।

09. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर ।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, नवा रायपुर अटल नगर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर अटल नगर ।
14. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर की ओर प्रकाशनार्थ ।
15. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
16. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ, रायपुर ।
17. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
18. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
19. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, नागपुर, महाराष्ट्र।
20. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., नवा रायपुर अटल नगर ।
21. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर । उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
22. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
23. समस्त जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ ।
24. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-(01)

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में अनुमानित धान उपार्जन एवं निराकरण की कार्ययोजना

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	अनुमानित धान उपार्जन की मात्रा	खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में पीडीएस हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को अनुमानित चावल की आवश्यकता।	खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में पीडीएस हेतु भारतीय खाद्य निगम को अनुमानित चावल जमा की मात्रा
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर,बस्तर	125600	92674.11	29700
2	बीजापुर	62700	15000.00	0
3	दन्तेवाड़ा	10500	15000.00	0
4	कांकेर	293200	60713.76	114138
5	कोण्डागांव	120400	61251.46	0
6	नारायणपुर	11500	10000.00	0
7	सुकमा	33500	20000.00	0
8	बिलासपुर	446900	121697.21	276779
9	गौ.पे.म.	61000	50123.36	0
10	जांजगीर–चांपा	837650	181001.36	280811
11	कोरबा	120400	131414.63	0
12	मुंगेली	345500	65512.65	81823 0
13	रायगढ़	513200	139884.22	192522
14	बालोद	539300	89655.20	199251
15	बेमेतरा	555000	77480.08	94067
16	दुर्ग	397900	111327.17	414275
17	कवर्धा	314000	82176.38	87985
18	राजनांदगांव	706800	167045.90	244672
19	बलौदाबाजार	685900	132206.00	79365
20	धमतरी	439800	82752.01	385958
21	गरियाबंद	324500	67936.28	116844
22	महासमुंद	774900	113712.60	347071
23	रायपुर	528800	96023.57	611740
24	बलरामपुर	136000	84575.54	6593
25	जशपुर	85800	92011.20	0
26	कोरिया	94250	64854.31	0
27	अम्बिकापुर(सरगुजा)	157000	90670.24	0
28	सूरजपुर	178000	78713.10	30617
	कुल योग	**8900000**	**2395412.34**	**3594212**

महाप्रबंधक (विप.) 28/11/20

परिशिष्ट-5 (2)

चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	क्र.	उपार्जन केन्द्र
1	बस्तर	1	Jagdalpur
		2	Karpanwand
		3	Ghatlohanga
		4	Keshlur
		5	Gidam
2	बीजापुर	1	Beejapur
		2	Bhairamgarh
		3	Bhopalpatanam
3	दंतेवाड़ा	1	Gidam
		2	Dantewada
		3	Kuakonda
4	कांकेर	1	Kanker
		2	Charama
		3	Bhanupratappur
		4	Naraharpur
		5	Antagarh
		6	Pakhanjur
		7	Junwani
		8	Maakdi
		9	Karap
5	कोण्डागांव	1	Kondagaon
		2	Keshkal
		3	Badedongar
6	नारायणपुर	1	Narayanpur
7	सुकमा	1	Dornapaal
		2	Konta
		3	Sukma
8	बिलासपुर	1	Lingiyadih
		2	Tifra
		3	Devrikhurd
		4	Kargi Road
		5	Pendra Road

		6	Bilha
		7	Takhatpur
		8	Jayramnagar
		9	Marwahi
9	जांजगीर–चांपा	1	Akaltara
		2	Chandrapur
		3	Champa
		4	Naila
		5	Baradwar
		6	Sakti
		7	Dabara
		8	CWC Kharsiya(Janjgir)
		9	Bodasagar
10	कोरबा	1	Korba(Urga)
		2	Katghora
		3	Paali
		4	Akaltara-SWC
11	मुंगेली	1	Mungeli
		2	Lormi
		3	Sargaon
		4	Barela
		5	Dhapai
		6	Geetpuri
12	रायगढ़	1	SWC Dharmjaigarh
		2	SWC Kharsiya
		3	SWC Sarangarh
		4	SWC Loharsing
		5	Raigarh CWC-1
		6	Raigarh CWC-2
		7	SWC Lailunga
		8	Raigarh Kirodhimal Nagar
		9	CWC Kharsiya
		10	SWC Baramkela
		11	SWC Gharghora
		12	SWC Loharsing-2(RGH)
13	बालोद	1	Balod

		2	Gunderdehi
		3	Doundilohara
		4	Doundi
		5	Chitoud
14	बेमेतरा	1	Bemetara
		2	Saja(Durg)
		3	Bhoinabhata
		4	ThanKhamhariya
		5	kodiya
		6	SWC-Karanja Bhilai
		7	Berla-SWC (Rampurbhar)
15	दुर्ग	1	Hathkhoj
		2	Borai
		3	SWC-Durg
		4	Kodiya
		5	SWC-Dhamdha
		6	Karanja Bhilai
16	कवर्धा	1	SWC Kawardha
		2	Bodla
		3	Pandariya
		4	Hathlewa
17	राजनांदगांव	1	Mohala
		2	Basantpur
		3	Khairagarh
		4	Dongargarh
		5	Chhuriya
		6	Chouki
		7	Maanpur
		8	Tilai
		9	Dongargaon-SWC
18	बलौदाबाजार	1	Bhatapara CWC-1
		2	Bhatapara CWC-2
		3	Balodabazar
		4	Bilaigarh
		5	Kasdol
		6	Arjuni-SWC
		7	Hathband

19	धमतरी	1	SWC Dhamtari
		2	Chitod
		3	Kurud
		4	Sihawa
		5	CWC Dhamtari (Soram)
20	गरियाबंद	1	Gariyaband
		2	Rajim
		3	Devbhog
		4	Mainpur
		5	Rajim(Fhingeswar)
21	महासमुंद	1	Mahasamund
		2	Pithora
		3	Basna
		4	Saraypali
		5	Bagbahra
		6	DB-Mahasamund
22	रायपुर	1	Gudhiyari
		2	Raipur CWC-1
		3	Raipur CWC-2
		4	Raipur CWC-3
		5	Neora
		6	Abhanpur
		7	SWC Kharora
		8	Mandir Hasoud
		9	Raipur CWC-4
		10	Arang(Raipur)
		11	Dharseevan
		12	Nayapara(Raipur)
		13	Hathband-Raipur
23	बलरामपुर	1	Latori
		2	Vishrampur-R.B. Godown
		3	Ramanujgam
		4	Kusmi
		5	Vardrafnagar
		6	Rajpur
24	जशपुर	1	Jashpur

		2	Kunkuri
		3	Pathalgaon
		4	Bagicha
		5	Pharsabhar-SWC
25	कोरिया	1	Baikunthpur
		2	Manendragarh
		3	Chirmiri-SWC
		4	Janakpur
26	अम्बिकापुर	1	Ambikapur
		2	Sitapur
		3	Lakhanpur(Udaypur)
		4	Pathalgaon(Simhar)
		5	Vishrampur(Sarguja)
27	सरगुजा	1	Surajpur
		2	Vishrampur
		3	Pratappur
	कुल उपार्जन केन्द्र	**157**	

(परिशिष्ट-06)

नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों की सूची

क्र.	जिला	क्र.	प्रदाय केन्द्र
1	बस्तर	1	करपावंड़
		2	जगदलपुर
		3	बस्तर(घाट लोहंगा)
		4	केशलुर
2	बीजापुर	5	बीजापुर
		6	भोपालपट्टनम
		7	भैरमगढ़
		8	उसुर(आवापल्ली)
3	दन्तेवाड़ा	9	गीदम
		10	दन्तेवाड़ा
		11	कुआकोण्डा
4	कांकेर	12	अंतागढ़
		13	आमाबेड़ा
		14	कांकेर
		15	चारामा
		16	नरहरपुर
		17	पंखाजुर
		18	भानुप्रतापपुर
5	कोंडागांव	19	केशकाल
		20	कोंडागांव
		21	बड़ेडोगर
		22	माकड़ी
6	नारायणपुर	23	नारायणपुर
7	सुकमा	24	कोंटा
		25	सुकमा
		26	दोरनापाल
8	बिलासपुर	27	करगीरोड
		28	तखतपुर
		29	बिल्हा
		30	बिलासपुर
		31	जयराम नगर
9	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	32	पेन्ड्रारोड
		33	मरवाही
10	जांजगीर-चाम्पा	34	अकलतरा
		35	चांपा
		36	डबरा
		37	नैला
		38	बाराद्वार
		39	सक्ती
		40	चन्द्रपुर
		41	बोडासागर
11	कोरबा	42	कटघोरा
		43	कोरबा
		44	पाली

12	मुंगेली	45	मुंगेली
		46	लोरमी
		47	गितपुरी
13	रायगढ़	48	खरिसया
		49	घरघोड़ा
		50	धर्मजयगढ़
		51	बरमकेला
		52	रायगढ़
		53	सारंगढ़
		54	लैलूंगा
14	बालोद	55	डौंडीलोहारा
		56	डौण्डी
		57	बालोद
		58	गुण्डरदेही
		59	चिटौद
15	बेमेतरा	60	बेमेतरा
		61	साजा
		62	करंजा भिलाई (बेमेतरा)
		63	बेरला
16	दुर्ग	64	दुर्ग
		65	पाटन
		66	हथखोज
		67	बोरई
		68	कोड़िया
17	कवर्धा	69	कवर्धा
		70	पंडरिया
		71	बोड़ला
		72	हथलेवा(चारभाठा)
18	राजनांदगांव	73	खैरागढ़
		74	डोंगरगढ़
		75	मानपुर
		76	मोहला
		77	राजनांदगांव
		78	छुरिया
		79	चौकी
		80	तिलई
		81	डोंगरगांव
19	बलौदा बाजार-भाटापारा	82	कसडोल
		83	बलौदाबाजार
		84	बिलाईगढ़
		85	भाटापारा
		86	अर्जुनी
20	धमतरी	87	कुरूद
		88	धमतरी
		89	नगरी-सिहावा
21	गरियाबंद	90	गरियाबंन्द
		91	देवभोग

		92	राजिम
		93	मैनपुर
22	महासमुंद	94	पिथौरा
		95	बसना
		96	बागबाहरा
		97	महासमुंद
		98	सरायपाली
23	रायपुर	99	अभनपुर
		100	आरंग
		101	खरोरा
		102	धरसींवा
		103	नेवरा
		104	रायपुर
		105	नयापारा(रायपुर)
24	बलरामपुर	106	लटोरी
		107	कुसमी
		108	रामानुजगंज
		109	वाड्रफनगर
		110	सनावल
		111	राजपुर
25	जशपुर	112	कुनकुरी
		113	जशपुर
		114	पत्थलगांव
		115	बगीचा
		116	फरसाबहार
26	कोरिया	117	चिरमिरी
		118	जनकपुर
		119	बैकुंठपुर
		120	मनेन्द्रगढ़
27	सरगुजा	121	अंबिकापुर
		122	सीतापुर
		123	लखनपुर
28	सूरजपुर	124	विश्रामपुर
		125	सूरजपुर
		126	प्रतापपुर
योग			

परिशिष्ट (3)

No.8-4/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 28.09.2020

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2020-21 for central pool procurement-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also enclosed.

Encl: As above.

Yours faithfully,

28/9/2020

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY (KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

28/9/2020

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

28/9/2020

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than $1/8^{th}$ of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

28/9/2020

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.111998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and OWSs along with updated illustrations for KMS 2020-21 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.

2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2020-21 is as under:

S.No	Refraction		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common
1	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4	Chalky Grains	Raw	5	6
5	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

*****

28/9/2020

परिशिष्ट-(4)

गोदाम जो अन्य जिले मे स्थित है एवं उपार्जन अन्य जिले किए लिए किया जाता है

क्र	गोदाम	गोदाम जिस जिले के लिए उपार्जन किया जाता है	गोदाम जिस जिले मे स्थित है
1	खरसिया	जांजगीर चापा	रायगढ़
2	अकलतरा	कोरबा	जांजगीर
3	कोड़िया	बेमेतरा	दुर्ग
4	करंजा भिलाई	बेमेतरा	दुर्ग
5	लटोरी	बलरामपुर	सूरजपुर
6	आर बी गोदाम	बलरामपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट-5

File No.192(14)/2018-FCA/cs

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/05/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards:

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms.

आवक क्रमांक 617 संयुक्त सचिव/खाद्य/20

क्रमांक 1267 विशेष सचिव/खाद्य/2019

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

Signature Not Verified
Digitally signed by V.C. SUDEESH
Date: 2019.05.08 16:24:22 IST
Reason: Approved

(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

-30-

परिशिष्ट-6

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में अनुमानित धान उपार्जन एवं निराकरण की कार्ययोजना

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	अनुमानित धान उपार्जन की मात्रा	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव			संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण		
			जिले के मिलर	अन्य जिले के मिलर		जिले के संग्रहण केन्द्र में	अन्य जिले के संग्रहण केंद्र में	
1	2		4	5	6	7	8	9
1	जगदलपुर,बस्तर	125600	85600			40000		
2	बीजापुर	62700	35100	बस्तर	10000	0	बस्तर	17600
3	दन्तेवाड़ा	10500	4200			0	बस्तर	6300
4	कांकेर	293200	180000			81000	धमतरी	32200
5	कोण्डागांव	120400	80000			40400		
6	नारायणपुर	11500	6500			0	कोण्डागांव	5000
7	सुकमा	33500	19000			14500		
8	बिलासपुर	446900	386000			60900		
9	गौ.पे.म.	61000	39000			22000		
10	जांजगीर–चांपा	837650	463000			374650		
11	कोरबा	120400	120400			0		
12	मुंगेली	345500	150000	बिलासपुर	20000	50000	बिलासपुर रायपुर	66700 58800
13	रायगढ़	513200	296000	जशपुर	17200	200000		
14	बालोद	539300	210000	धमतरी	100000	220000	धमतरी	9300
15	बेमेतरा	555000	140000	दुर्ग	100000	115000	दुर्ग	200000
16	दुर्ग	397900	382000			15900		
17	कवर्धा	314000	164000	दुर्ग	15000	90000	रायपुर	45000
18	राजनांदगांव	706800	328000	दुर्ग	70000	283800	धमतरी	25000
19	बलौदाबाजार	685900	235000	रायपुर	70000	80900	रायपुर	300000
20	धमतरी	439800	439800			0		
21	गरियाबंद	324500	112000	रायपुर	50000	162500		
22	महासमुंद	774900	428000	धमतरी	30000	256900	धमतरी	60000
23	रायपुर	528800	528800			0		
24	बलरामपुर	136000	112000			24000		
25	जशपुर	85800	85800			0		
26	कोरिया	94250	94250			0		
27	अम्बिकापुर(सरगुजा)	157000	150000	जशपुर	7000	0		
28	सूरजपुर	178000	66000			109500	कोरिया	2500
	कुल योग	**8900000**	**5340450**		**489200**	**2241950**		**828400**

28/11/20

महाप्रबंधक (विप.)